प्राधिकारी को भेज दी जाती है। नीलामी द्वारा की जाने वाली बिक्री में भाग लेने के लिए आयकर का बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पूर्वापेक्षित नहीं है तथापि टेंडर द्वारा की जाने वाली बिक्री के मामले में सफल टेंडरदाता से आयकर का बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मलेरिया योजना के अन्तर्गत गुजरात को सहायता

2432. **श्री भिर्जा इर्शादबेग :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार की ओर से केन्द्रीय मलेरिया योजना के अंतर्गत सहायता के लिए विशेष मांग की गई है ; यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या मेलाथियान की खरीद के लिए गुजरात को अतिरिक्त धन-राशि अभी दी जानी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है और यह धन-राशि कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है;

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्र प्रायोजित वर्ग-2 योजना है जिसका खर्च 50.50 के हिस्से के आधार पर किया जाता है और 1983-84 और 1984-85 के दौरान मेलाथियन के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई है। खर्च के वर्तमान पैटर्न के अनुसार गुजरात राज्य को जो सामग्री प्राप्त और रिलीज करनी थी वह समस्त सामग्री पिछले सालों में दे दी गई है और अग्रिम पूर्तियां भी की जा रही हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान गुजरात राज्य को 104.70 लाख रुपये के मूल्य की 25 प्रतिशत डब्ल्यू०डी०पी० मेलाथियन और 500.00 लाख रुपये की नकद सहायता दी गई थी। वर्ष 1984-85 के दौरान इस राज्य को 25 प्रतिशत डब्ल्यू०डी०पी० मेलाथियन की खरीद के लिए 809.09 लाख रुपये की नकद सहायता दी गई है।

Public Grievance Redressal System

2433. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any provision of *public grievance redressal system* under his Ministry;

(b) if so, what is the *modus operandi* of attending to public grievances and which particular officer or unit is responsible for it;

(c) the number of grievances disposed of during the last three years till October, 1985;

(d) whether there is any system for intimating the aggrieved persons about the action taken by the authorities; and

(e) if so, what are the details of the scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI KRISHNA-KUMAR): (a) to (e) Arrangements exist for redressal of public grievances in this Ministry, Directorate General of Health Services, Hospitals and Institutions. The same have been recently strenghened. An officer has been designated as Director (Grievance) in the Ministry. Director General of Health Services has been designated as the Chief Commissioner for Grievances and a Grievances Redressal Committee with the Director General of Health Services as Chairman has been set up to look into the complaints pertaining to Central Governments Hospitals in Delhi functioning under Directorate General of